सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
नव सीमा शुल्क भवन, पणंबूर, मंगलूर–५७५०१०
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
NEW CUSTOMS HOUSE, PANAMBUR, MANGALURU – 575 010
Telephone No.: 0824-2408164, **Website**: bangalorecustoms.gov.in, **Email**: commr-cusmnglr@nic.in

Computer No.: 1669196 Dated: As e-signed

सार्वजनिक सूचना सं. 08/2026
PUBLIC NOTICE NO. 08/2026

विषय: आयातित कार्गो परीक्षण हेतु सिस्टम-आधारित ई-शेड्यूलिंग का कार्यान्वयन और आयातित माल की जांच के लिए बॉडी वर्न कैमरा (BWC) का उपयोग। - सीबीआईसी परिपत्र सं. 07/2026-कस्टम्स दिनांक 01.02.2026 के संदर्भ में - संबंधी।

Subject: Implementation of System-Based E-Scheduling for Import Cargo Examination and Use of Body Worn Cameras (BWC) for examination of imported goods – Reference to CBIC Circular No. 07/2026-Customs dated 01.02.2026 – Reg.

सभी आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर्स (CBs), कस्टोडियन्स, टर्मिनल ऑपरेटरों तथा व्यापार समुदाय के अन्य हितधारकों का ध्यान आयात कार्गो की जांच तथा व्यापार सुगमता से संबंधित हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा लागू किए गए सुधारों की ओर आकर्षित किया जाता है।

Attention of all Importers, Customs Brokers (CBs), Custodians, Terminal Operators, and other stakeholders in the trade community is invited to the recent reforms introduced by the Central Board of Indirect Taxes and Customs relating to examination of import cargo and facilitation of trade.

2. बजटीय घोषणाओं तथा पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और सीमा शुल्क निकासी में Ease of Doing Business को और सुदृढ़ करने हेतु किए गए प्रक्रियात्मक सुधारों के अनुसरण में, बोर्ड ने परिपत्र संख्या 07/2026–Customs दिनांक 01.02.2026 जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i. आयातित वस्तुओं की भौतिक जांच के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC) का उपयोग।
ii. आयातित वस्तुओं की भौतिक जांच के निर्धारण हेतु ICEGATE 2.0 पर सिस्टम-आधारित परीक्षा आवेदन (ई-कार्गो परीक्षा शेड्यूलिंग)।

In pursuance of the Budgetary announcements and subsequent procedural reforms to further enhance transparency, efficiency, accountability, and Ease of Doing Business in customs clearance, the Board has issued Circular No. 07/2026–Customs dated 01.02.2026, providing for, inter-alia:

i. Use of Body Worn Cameras (BWC) by Customs officers during physical examination of imported goods.

ii. System-based Examination Application on ICEGATE 2.0 for scheduling of physical examination of imported goods (E- scheduling of Cargo Examination)

2.1. आयातित वस्तुओं की भौतिक जांच के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC) का उपयोग:

उक्त परिपत्र के अनुसार, आयात में जांच हेतु चयनित कार्गो की भौतिक जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC) का उपयोग किया जाएगा। यह सुविधा 01.04.2026 तक वस्तुओं की जांच में संलग्न सभी सीमा शुल्क संरचनाओं में लागू कर दी जाएगी।

i. जांच प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग पैकेज या कंटेनर खोलने से पूर्व के चरण से प्रारंभ होकर जांच पूर्ण होने तक निरंतर की जाएगी। रिकॉर्डिंग में वस्तुओं की जांच, आयातक, सीमा शुल्क ब्रोकर या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ हुई बातचीत सम्मिलित होगी।
ii. रिकॉर्डिंग में जांच के सभी महत्वपूर्ण चरण सम्मिलित होंगे, जैसे सीलों की स्थिति, पैकेज/कंटेनर खोलना, वस्तुओं के विवरण एवं मात्रा का सत्यापन, तथा आवश्यकता होने पर नमूना लेना। यदि रिकॉर्डिंग में कोई व्यवधान होता है, तो उसे कारण सहित दर्ज किया जाएगा।
iii. BWC की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा तथा 2 वर्षों तक संरक्षित रखा जाएगा। जिन मामलों में जांच, विवाद या वाद-विवाद लंबित हो, उनमें रिकॉर्डिंग अंतिम निपटान तक सुरक्षित रखी जाएगी।

Use of Body Worn Cameras (BWC) by Customs officers during physical examination of imported goods:

As per the referred circular, Body Worn Cameras (BWC) shall be used by officers for physical examination of cargo selected for examination in import. This facility will be implemented across all customs formations involved in the examination of goods by 01.04.2026.

i. The examination process is recorded from the stage prior to opening of packages or containers and will continue until completion of examination. The recording should capture the examination of goods, interaction with the importer, Customs Broker or authorised representative.
ii. The recording should cover all critical stages of examination, including the condition of seals, opening of packages or containers, verification of description and quantity of goods, sampling where required. In the event of any interruption in recording, the same will be recorded along with reasons.
iii. The BWC recordings will be securely stored and retained for 2 years. For cases involving investigation, dispute or litigation, the recordings will be preserved until final disposal of the proceedings.

2.2. कार्गो परीक्षा की ई-शेड्यूलिंग:

ICEGATE 2.0 पर आयातित वस्तुओं की भौतिक जांच के निर्धारण हेतु सिस्टम-आधारित परीक्षा आवेदन (ई-कार्गो परीक्षा शेड्यूलिंग) एक व्यापार सुविधा उपाय है, जिसका उद्देश्य जांच हेतु चयनित कार्गो की प्रक्रिया में अधिक दक्षता और सुनिश्चितता लाना है। यह आयातकों/IEC धारकों तथा अधिकृत सीमा शुल्क ब्रोकरों को ICEGATE के माध्यम से पंजीकृत वस्तुओं की जांच को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्धारित करने, देखने तथा पुनर्निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही संबंधित अधिकारी, आयातक, सीमा शुल्क ब्रोकर और संरक्षक (Custodian) को स्वचालित प्रणाली सूचना भेजी जाती है। इस सुविधा का पायलट परीक्षण ICD तुगलकाबाद में किया गया था और इसे चरणबद्ध तरीके से सभी सीमा शुल्क संरचनाओं में विस्तारित किया जाएगा।

I. ई-शेड्यूलिंग सुविधा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

a. उपलब्धता के आधार पर सिस्टम द्वारा जांच अधिकारी को स्वतः जांच स्लॉट आवंटित किए जाएंगे, जिससे अनिश्चितता और अनावश्यक विलंब में कमी आएगी।
b. व्यापारिक पक्ष लंबित, निर्धारित तथा पूर्ण की गई जांच की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे।
c. आवश्यकता होने पर जांच का पुनर्निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा, जिसकी सूचना संबंधित अधिकारी, आयातक, सीमा शुल्क ब्रोकर और संरक्षक को सिस्टम द्वारा भेजी जाएगी।
d. स्वचालित सूचना के आधार पर संरक्षक अग्रिम रूप से जांच क्षेत्र में वस्तुओं की व्यवस्था कर सकेंगे, जिससे कार्गो प्रबंधन अधिक सुचारु होगा।

II. ई-शेड्यूलिंग सुविधा पारदर्शी और नियम-आधारित तरीके से संचालित होगी, जिसमें सिस्टम-जनित ऑडिट ट्रेल और जांच की स्थिति की दृश्यता उपलब्ध होगी।

III. जांच के पुनर्निर्धारण, रोक (hold) लगाने या निर्धारित जांच को सूची से हटाने की अनुमति केवल प्रभारी सहायक/उप आयुक्त द्वारा ही दी जाएगी, तथा इसके लिए कारण दर्ज करना आवश्यक होगा।

E-Scheduling of Cargo Examination:

The System-based Examination Application on ICEGATE 2.0 for scheduling of physical examination of imported goods (E- scheduling of Cargo Examination) is a trade facilitation measure designed to bring improved efficiency and certainty to the cargo selected for examination process. It allows importers/IEC holders and authorised Customs Brokers to electronically schedule, view and reschedule examination of registered goods through ICEGATE, with automated system notifications to the concerned officer, importer, customs broker and custodian. This facility was tested on pilot basis at ICD Tughlakabad and will be expanded to all Customs formations in a phased manner.

I. Important features of the E- scheduling facility are as under:-

a) Examination slots will be automatically allocated to the examining officer by the system based on availability, reducing uncertainty and avoidable delays.
b) Trade can view pending, scheduled and completed examinations online.
c) Rescheduling of examination, where required, can be done electronically, with system generated intimation to the concerned officer, importer, customs broker and Custodian.
d) Based on automated notification, Custodians can plan placement of goods in the examination area in advance, facilitating smoother cargo handling.

II. The E- scheduling facility operates in a transparent and rule-based manner, with system-generated audit trails and visibility of examination status.

III. Rescheduling, placing examination on hold, or removal of an examination from the schedule shall be permitted only by the Assistant/Deputy Commissioner in charge, with recorded and justifiable reasons.

3. सिस्टम-आधारित ई-शेड्यूलिंग तथा संबंधित प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी होंगी। हितधारकों को नई प्रक्रिया से यथाशीघ्र परिचित होने की सलाह दी जाती है। कार्गो परीक्षा की ई-शेड्यूलिंग हेतु आवेदन के संबंध में विस्तृत परामर्श व्यापारिक पक्ष के लिए DG Systems द्वारा जारी किया जाएगा।

The System-Based E-Scheduling and associated procedural requirements will be implemented by **01.04.2026**. Stakeholders are advised to familiarise themselves with the new process at the earliest. A detailed advisory in respect of the application for E-Scheduling of Cargo Examination for the trade will be issued by DG Systems.

4. इस लोक सूचना के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो, तो उसे सहायक/उप आयुक्त (डॉक्स) के संज्ञान में आधिकारिक ईमेल csd.mglr-customs@gov.in के माध्यम से लाया जा सकता है।

Difficulties, if any, in implementation of this Public Notice may be brought to the notice of the Assistant/ Deputy Commissioner (Docks) through official email csd.mglr-customs@gov.in.

Digitally signed by
P VINITHA SEKHAR
Date: 27-02-2026
15:02:57

(पी. विनीता सेखर / P. VINITHA SEKHAR)
सीमा शुल्क आयुक्त / Commissioner of Customs
मंगलुरु / Mangaluru

Copy to:

1. Office of the Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, Bengaluru, for information.
2. EDI Section for uploading on the Website.
3. CHA Association, Mangaluru
4. Notice Board, NCH, Mangaluru.